खंड 1 संख्या 135

राष्ट्र महिला

अक्टूबर 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिलाओं की दशा सुधारने की दिशा में किए गये विभिन्न उपायों से मीडिया को अवगत कराने के लिए आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने आयोग परिसर में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया।

अध्यक्षा ने बताया कि महिलाओं के मुद्दों से संबंधित वर्गों से विस्तृत परामर्श करने के बाद आयोग ने लैंगिक प्रहार विधेयक के कुछ प्रावधानों में संशोधनों का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि तत्पश्चात् विधि कार्य विभाग ने विधि आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों तथा संशोधनों के आधार पर आपराधिक विधि संशोधन विधेयक तैयार किया है जिसमें आयोग के मसौदा विधेयक में परिलक्षित अधिकतर दृष्टिकोणों को समाहित कर लिया गया है।

वैवाहिक बलात्कार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आयोग इस बात पर ज़ोर देता रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद को हटा दिया जाना चाहिए ताकि वैवाहिक बलात्कार भी बलात्कार के अपराध की ज़द में आ जाये और आयोग ने यह सिफारिश भी की थी कि वैवाहिक बलात्कार को एक अपराध बना दिया जाये। गृह सचिव की अध्यक्षता में निर्मित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इस मांग पर विचार किया और धारा 375 के अपवाद को संशोधित कर देने का उसका प्रस्ताव है ताकि 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ किया गया जबरन संभोग एक अपराध माना जायेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग तो चाहता था कि आयु का कोई प्रतिबंध न लगाया जाये, किन्तु पहले कदम के रूप में यह उत्साहजनक है कि आयु सीमा को 15 वर्ष से बढ़ा कर 18 वर्ष कर दिया गया है।

तेज़ाब फेंक कर किए जाने वाले हमलों के संबंध में अध्यक्षा ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने कुछ समय पूर्व "तेज़ाबी हमलों की रोकथाम विधेयक, 2008" शीर्षक से एक विधेयक तैयार किया

चर्चा में: आयोग की अध्यक्षा का प्रेस सम्मेलन

था। तत्पश्चात, आयोग ने तेज़ाब के हमलों की शिकार पीड़िताओं के पुनर्वास की योजना भी तैयार की जिसमें सुझाव दिया गया कि ऐसी पीड़ित महिलाओं एवं लड़कियों को वही राहत और पुनर्वास प्रदान किया जाये जो बलात्कार पीड़ितों को दिया जाता है।

डॉ. व्यास ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग को दिए गये "बलात्कार की अभागी पीड़िताओं के आंसू पोंछने" के निर्देश के अनुसरण में, आयोग ने एक स्कीम तैयार कर केन्द्रीय सरकार को भेजी थी। यह स्कीम अब अंतिम चरण में है और आशा है कि सरकार द्वारा शीघ्र की क्रियान्वित की जायेगी।

"मर्यादा हत्याओं" के संबंध में उन्होंने कहा कि इस विधा को समाप्त करने के लिए 'मर्यादा' संबंधित अपराधों पर अलग से एक कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 302/306 के अंतर्गत बनाया जाना चाहिए। तद्नुसार, आयोग ने एक मसौदा विधेयक 18 अगस्त, 2010 को केन्द्र सरकार को भेजा है। इस विधेयक में केवल मर्यादा हत्याओं को ही नहीं अपितु मर्यादा अपराधों को भी विचार में लिया गया है और यह मान कर चला गया है कि सभी युवा लोगों तथा महिलाओं को अपनी तरह जीने का, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का, आवागमन का तथा भौतिक निष्ठा का अधिकार है।

महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार के बारे में, जो एक भयावह सीमा तक पहुंच गया है, डॉ. व्यास ने कहा कि आयोग नवम्बर 2010 में सार्क देशों (बंग्लादेश, भूटान, भारत, मालद्वीव, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान - जो इस व्यापार के स्रोत, पारगमन और लक्षित देश हैं) का एक सम्मेलन आयोजित करेगा।

अंत में, उन्होंने कहा कि शिकायतों को दर्ज किए जाने की सुविधा के लिए आयोग एक चौबीसों घंटे का कार्यवाही कक्ष, जो टेलीफोन शुल्क मुक्त होगा, स्थापित करने पर विचार कर रहा है जहां महिला उत्पीड़न के मामलों पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

डॉ. गिरिजा व्यास का पेरिस दौरा

फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन में भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने डॉ. गिरिजा व्यास 8 से 12 अक्टूबर, 2010 तक पेरिस गयीं। उनके दौरे का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तथा फ्रांसीसी समाजवादी पार्टी के बीच एक सतत वार्तालाप की स्थापना करना था जिससे कि एक सार्थक भागीदारी तथा समान हित वाला परिप्रेक्ष्य प्राप्त किए जा सके।

कंवेंशन को संबोधित करते हुए डॉ. गिरिजा व्यास

डॉ. गिरिजा व्यास अन्य प्रतिनिधियों के साथ

अध्यक्षा का नेपाल का दौरा

अहिंसा तथा सामाजिक सुधार के महान प्रवर्तक महात्मा गांधी के जन्मदिवस की स्मृति में 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस पर एक वार्ता देने के लिए आयोग की अध्यक्षा काठमांडू गयीं।

तत्पश्चात्, उन्होंने नेपाल की संसद की महिला सदस्यों, नेपाल के महिला आयोग की सदस्याओं, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की जिसमें दोनों देशों में महिला सशक्तिकरण की रणनीतियों तथा प्रायोजनाओं पर चर्चा की गयी।

डॉ. गिरिजा व्यास (बीच में) नेपाल में अहिंसा सम्मेलन में

खनन परियोजना का मुआवज़ा महिलाओं को दिया जायेगा

नये खनन कानून के अंतर्गत अभिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवज़ा घर की महिला को दिया जायेगा। सरकार आश्वस्त करना चाहती है कि खनन परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को दिए जाने वाले मुआवजे की वार्षिक राशि परिवार की महिला मुखिया के खाते में जमा की जाये।

यह कदम महिलाओं को वित्तीय निर्णय लेने में अधिक भूमिका देने की सरकार की नीति के अनुसरण में उठाया गया है। खदान मंत्रालय के अनुसार, "यह सर्वविदित है कि महिलाएं घर का व्यय पुरुषों की अपेक्षा बेहतर रूप से चलाती हैं और नियमित प्राप्त राशि का उपयोग समस्त परिवार के लिए कर सकती हैं।"

राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना के अंतर्गत, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 50% रसोई गैस का विक्रय-अधिकार महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य बना दिया है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी सेमिनार

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने तथा शिकायत दूर करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण न्याय-निर्णय के अनुसरण में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अन्य सरकारी उपक्रमों से पहले इस नीति का पालन करने की दिशा में कदम उठाया है। इस बारे में पचास कार्यशालाओं के क्रम की पहली कार्यशाला का सूत्रपात आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने किया।

इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महिला कल्याण संघ, कल्याणमयी, द्वारा 'क्या करें और क्या ना करें' संबंधी आचार संहिता की एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

डॉ. व्यास ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए यह गर्व की बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को वहां की महिला कर्मचारियों से कभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

डॉ. गिरिजा व्यास (मध्य में) आचार संहिता पर पुस्तक का विमोचन करते हुए

आयोग में हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया

14.9.2010 से 28.9.2010 के हिन्दी पखवाड़े के भाग के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिन-प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिन विभिन्न वर्गों के अंतर्गत प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं वे हैं निबंध लेखन, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, व्याकरण तथा प्रश्नोत्तर। अध्यक्षा ने आयोग के सम्मेलन कक्ष में विजेताओं को पुरस्कृत किया।

श्री के.के. दास और श्री अतुल सिन्हा क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार लेते हुए। अन्य विजेता थे श्री वी.के. अस्थाना तथा श्री वी. चिदम्बरम

● उच्च न्यायालय ने पति के परिवार की आय को भरण-पोषण देने का आधार बनाया

बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विरक्त पत्नी को भरण-पोषण दिए जाने की राशि निर्धारित करने में पुरुष के संयुक्त परिवार की आय विचार में ली जा सकती है।

भरण-पोषण की राशि आठ गुना बढ़ाते हुए, न्यायालय ने एक व्यापारी को अपनी विरक्त पत्नी तथा पुत्री को 2500 रुपये प्रतिमास की निर्धारित राशि बढ़ा कर 20000 रुपये प्रतिमास दिए जाने का आदेश दिया। एक खंडपीठ ने कहा कि "परिवार की जीवन शैली को देखते हुए, अनिवार्यतः यह नतीजा निकलता है कि पति की आय काफी थी।" न्यायाधीशों ने आगे कहा "पति की स्वतंत्र आय है और संयुक्त परिवार की पूंजी को देखते हुए, वह अपनी पत्नी तथा नाबालिग पुत्री को मासिक भरण-पोषण देने की क्षमता रखता है।" न्यायालय ने पति को यह आदेश भी दिया कि पत्नी को कानूनी खर्चे के रूप में वह 10000 रुपये और दे।

● तलाक को खरीदा नहीं जा सकता : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि कोई पक्ष दूसरे पक्ष को एकमुश्त राशि देकर तलाक को खरीद नहीं सकता और न्यायालयों द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम के उल्लंघन में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।

न्यायमूर्ति आफताब आलम तथा आर.एम. लोढ़ा की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा : "किसी हिन्दू विवाह को हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 में किए गये स्पष्ट तथा सरल प्रावधानों के आधारों पर ही विच्छेदित किया जा सकता है। कानून यह अनुमति नहीं देता कि दूसरे पक्ष की मर्जी से अथवा मर्जी के बिना पैसे से तलाक खरीद लिया जाये।"

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पति को तलाक देने की अनुमति दिए जाने पर पत्नी की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया।

● गर्भवती महिला को न्यायालय में नहीं बुलाया जा सकता

दिल्ली के एक न्यायालय ने कहा कि गर्भ की अग्रिम अवस्था वाली किसी महिला को न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने को मजबूर नहीं किया जा सकता। यह बात एक न्यायालय ने एक निम्न न्यायालय के न्यायाधीश के उस आदेश पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही जिसमें न्यायालय ने छः मास की गर्भवती महिला को न्यायालय की उपस्थिति से छूट नहीं दी थी।

● महिलाएं 21 वर्ष की आयु होने पर शराब परोस सकती हैं

दिल्ली में महिलाएं अब सार्वजनिक मद्यपानगृहों में शराब परोस सकती हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पारित नये अधिनियम - दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2010 - से महिलाओं को मद्यपानगृहों में ग्राहकों को शराब परोसने की अनुमति मिल गयी है।

नये अधिनियम में शराब परोसने की आयु भी 25 वर्ष से घटा कर 21 वर्ष की दी गयी है। परन्तु शराब पीने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही रहेगी।

शाबाश लड़कियों

राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल जीतने वाली इन सभी लड़कियों को राष्ट्रीय महिला आयोग बधाई देता है - दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी, बोम्बायाला देवी, गगनदीप कौर, भीग्यावती चानु, जानू हन्डसा, ए.सी. अश्वनि, मनजीत कौर, मनदीप कौर, सीनी जोसे, कृष्णा पूनिया, हरवंत कौर, प्रजूशा मलियक्कल, सीमा अंतिल, एस. गीता, श्रावणी नन्दा, पी.के. प्रिया, एच.एम. ज्योति, कविता राउत, सायना नेहवाल, ज्वाला गुत्ता, अश्वनी पोनप्पा, हीना सिधू, अनुराज सिंह, अनीस सय्यद, राही सरनोबत, तेजस्वनी सावंत, लज्जा गोस्वामी, सूमा शिरूर, कविता यादव, मीना कुमारी, पोलोमी घटक, मौमा दास, शामिनी कुमारेसन, मधुरिका पाटकर, ममता प्रभु, सानिया मिर्जा, रश्मि चक्रवर्ती, रेनु बाला चानु, सोनिया चानु, रानी देवी संध्या, मोनिका देवी लैश्राम, अनिता, गीता, अलका तोमर, निर्मला देवी, बबिता कुमारी, सुमन कुन्दु।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।